



छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594

ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in
वेबसाइट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/हरा/2010-11/1

दिनांक 10.05.2010

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010-2011 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले
हरा, कचरिया एवं बालहरा के अग्रिम विक्रय हेतु

निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में हरा के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है,
 - शासन के द्वारा वर्ष 2010-2011 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के पर्यवेक्षण में संबंधित हरा की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में हरा का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं,
 - शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी हरा उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए हरा के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति क्विंटल की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति क्विंटल का क्रय मूल्य, तत्संबंधित इकाई के लिए नियुक्त अधिकृत क्रेता के द्वारा स्वयं भुगतान कर प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में हरा, कचरिया एवं बालहरा संग्रहित किया जायेगा तथा हरे का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
- अतएव अब संघ उक्त हरा के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विविध कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

**अनुसूची
(हरा की इकाई सूची)**

3. इकाई सूची एवं करार अवधि -

विभिन्न समितियों से संग्रहित/क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित हरा की इकाइयों के क्रय के लिये दिनांक 30.06.2011 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

4. निविदा पत्र आदि -

(I) निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त निविदा पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ रुपये 100/- का, किसी भी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय पर देय हो, संलग्न करना होगा।

**परिशिष्ट-II
(निविदा पत्र)**

**परिशिष्ट-III
(निविदाकार करारनामा)**

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है। आवश्यक समस्त अभिलेख डाउनलोड कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र के द्वितीय पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 5.6 में अंकित करना होगा।

(II) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी।

वर्ष 2010-2011 में संग्रहित होने वाले हरा, कचरिया एवं बालहरा के अग्रिम क्रय करने हेतु निविदा।

निविदा खोलने की तिथि 02.06.2010
(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हरा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010)
प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट,
वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर,
रायपुर - 492007

प्रेषक,

निविदाकार का नाम -
पता -

(III) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, संघ को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यक् अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 02.06.2010 को 15.00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007 कार्यालय में प्राप्त हो जावे। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी।

6. निविदाओं का खोला जाना -

प्रबंध संचालक, संघ कार्यालय में प्राप्त निविदायें दिनांक 02.06.2010 को 15.30 बजे से ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर-492007 के कार्यालय में प्रबंध संचालक संघ द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित हर्षा की इकाई के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार इकाई का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक इकाई के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 2000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 15वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि इकाई/इकाईयों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्व निर्वातन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्व निर्वातन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

परिशिष्ट-IV (क्रेता करारनामा)

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) शासन द्वारा स्वीकृत संग्रहण दर से क्रेता स्वयं अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहणकर्ताओं को भुगतान कर हर्षा संग्राहकों से प्राप्त करेगा ।

(ब) क्रय मूल्य की शेष राशि एवं स्वीकृत निविदा दर पर करों/उपकरों की पूर्ण राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को संग्रहण तिथि के 15 दिवस में करने के उपरांत ही क्रेता संग्रहण केन्द्र से हर्षा परिवहन कर सकेगा ।

9. हर्षा का परिवहन/निकासी -

देय राशि के भुगतान के उपरांत हर्षा का परिवहन/निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से IV जिनका कि संदर्भ उपर दिया गया है जो की संघ की अधिसूचना के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें । अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट-I से IV को आगामी निविदाओं के उपयोग के लिये अपने पास सुरक्षित रखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

13. यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

14. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट- I

निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना क्रमांक संघ/हरा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) "अधिनियम" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 से है।
- (ii) "अभिकर्ता" से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त अभिकर्ता से है।
- (iii) "देय राशि" से तात्पर्य इकाई में संग्रहित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (iv) "परिशिष्ट" से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।
- (v) बकाया से अभिप्रेत है निविदाकार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत की जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है।
- (vi) संग्रहण काल से तात्पर्य कलेन्डर वर्ष की नवम्बर से मई तक की अवधि से है।
- (vii) "वन संरक्षक" से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक भी घोषित है,
- (viii) "जिला यूनियन" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (ix) "वन मंडलाधिकारी" से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (x) "संघ" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (xi) "शासन" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,
- (xii) "इकाई" से तात्पर्य किसी विशिष्ट वन मंडल के भौगोलिक क्षेत्र से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।
- (xiii) "नियमावली" से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार विनियमन नियम 1969 से है।

- (xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।
- (xv) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो हर्षा इकाईयों की अधिसूचित क्विंटल में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvi) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।
- (xvi) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।
- (xvii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,
- (xviii) **"देय कर"** से तात्पर्य इकाई के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, उपकर/ ड्यूटी आदि से है,
- (xix) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो निविदाकार किसी इकाई के हर्षा के क्रय के लिए परिशिष्ट- II में दिए गए निविदा पत्र की कंडिका 2 में प्रस्तावित करेगा ।
- (xx) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, हर्षा क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे ।
- (xxi) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से हर्षा संग्रहण किया जाना है का विवरण अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्षा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 की अनुसूची में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते हैं निविदा सूचना एवं क्रेता करारनाम के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेण्डम और आर्टिकल आफ

एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, निविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत योग्य होगी। मुख्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादारों अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जायेंगी।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि वापस की जावेगी।

(V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण - पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई है के पंजीयन प्रमाण- पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(VI) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता है या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है।

5. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित हरी की मात्रा के आधार पर निविदा दर से गणना किये गये क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी। यह सत्यंकार की राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, रायपुर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा

अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी । एक किलो कचरिया ढाई किलो हर्षा के समतुल्य एवं एक किलो बाल हर्षा सात किलो हर्षा के समतुल्य माना जावेगा ।

(II) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आवंटित इकाई/इकाईयों के क्रय मूल्य के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी ।

(IV) असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) प्रत्येक इकाई के क्रय के लिए निविदाकार पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करेगा । यदि कोई निविदाकार एक ही निविदा में एक से अधिक इकाई के लिये दरें प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल संघ की वेबसाइट से डाउनलोडेड निविदा पत्रों पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में इकाई के क्रय के लिए अपनी निविदा दर देनी होगी । निविदाकार हर्षा के लिए प्रति क्विंटल दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति क्विंटल दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी । यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही संघ द्वारा माना जावेगा और निविदाकार को उसे मानना होगा । यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही निविदाकार का प्रस्ताव माना जावेगा ।

(IV) यदि कोई निविदाकार एक इकाई के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये ।

(V) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी इकाई के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट इकाई के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी इकाई की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी इकाई के नाम एवं क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस इकाई के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(VI) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा । इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे । निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है । यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

7. प्रस्तावों को वापस लिया जाना आदि -

(I) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के पूर्व कोई भी निविदाकार निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-6 के अंतर्गत, निविदाओं को खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा किसी इकाई के लिए किये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में इकाई के क्रमांक का एवं इकाई के नाम का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित है। उक्त विवरण के अभाव में अथवा इकाई क्रमांक एवं इकाई का नाम में भिन्नता होने पर संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(II) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार किसी इकाई के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित इकाई/इकाईयों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को इकाई की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. निविदाओं को स्वीकार किया जाना -

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी इकाई या समस्त इकाईयों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दशयि स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(II) विभिन्न निविदाकारों को इकाईयों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न इकाईयों या इकाईयों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के इकाईयों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(III) यदि किसी विशिष्ट इकाई के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस इकाई का आवंटन संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।

(IV) निविदाकार ऐसे इकाई/इकाईयों जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये इकाईयों के कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

10. हर्षे का परिवहन/निकासी-

(I) संग्रहण केन्द्र से हर्षा का परिवहन/निकासी संग्रहित मात्रा के अनुसार संग्राहकों को भुगतान एवं स्वीकृत निविदा दर के अनुसार शेष राशि तथा पूर्ण करों एवं उपकरणों की राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता के द्वारा की जा सकेगी ।

(II) देय राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा पत्र से इकाई की संग्रहित मात्रा की परिवहन/निकासी की अनुमति दी जावेगी ।

11. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामों की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामों को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में वन संरक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

12. करारनामों का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रु. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा इकाई के क्रय मूल्य की 15% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/ बैंक ड्राफ्ट जोकि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर रायपुर में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रु. 5000/- प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता इकाई के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित इकाई का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

परिशिष्ट- II

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 का परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
वर्ष 2010-2011 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले हर्रा, कचरिया एवं बालहर्रा
के अग्रिम क्रय हेतु निविदा पत्र
(निविदा सूचना शर्त -4)

1. मैं/हम/मेसर्स(नाम अक्षरों में) आत्मज (नाम अक्षरों में) ग्राम पुलिस थाना.....
.....तहसीलजिला..... पिन कोड नं.....
.....एतद् द्वारा कच्चे माल के रूप में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित होने वाली समस्त हर्रा की मात्रा जो कि विक्रय इकाई क्रमांक व नाम
.....जिला यूनियन.....में संग्रहित होने वाली है, निविदा सूचना तथा करारनामे की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार क्रय करने के लिये करार करता हूँ/करते हैं ।
2. मैं/हम30 जून 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त इकाई के संग्रहण केन्द्रों पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में संग्रहित होने वाली हर्रा के लिये रुपया(अंको में) शब्दों में
..... प्रति क्विंटल क्रय दर बिना बोरे में भरे जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूँ/करते हैं । (एक किलो कचरिया ढाई किलो हर्रा के समतुल्य एवं एक किलो बाल हर्रा सात किलो हर्रा के समतुल्य माना जावेगा ।)
3. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं, कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के समस्त उपबंधनों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, इस निविदा सूचना की शर्तों और निविदा सूचना में संलग्न करार की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं, मैंने/हमने उपरोक्त विक्रय इकाई का, जिसके लिये निविदा दी जा रही है, स्वयं निरीक्षण किया है ।
4. मैं/हम छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अंतर्गत वर्ष 2010 के लिये हर्रा के व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जिस पर जिला यूनियन...
.....का क्रमांक.....दिनांक.....अंकित है, धारण करता हूँ/करते हैं, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न करता हूँ/करते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूँ/करते हैं ।

| अ.क्र. | अभिलेख | विवरण | निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ.क्रमांक..... सेतक | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | निविदा पत्र के लिए रुपये 100.00 देनगी का साक्ष्य (निविदा सूचना की शर्त- 4(I)) | क्र. बैंक/डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक एवं दिनांक | बैंक का नाम एवं ब्रांच राशि रु. | | | | | | | | | | |
| 2. | क्रय मूल्य की 10% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 5(I)) | | | | | | | | | | | | |
| योग कंडिका क्र.(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | वन विभाग/संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(IV)) | | | | | | | | | | | | |
| योग कंडिका क्र.(3) | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | मुख्यारनामा की/ फर्म के पंजीयन की/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.4) | (संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें) | | | | | | | | | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अधीन पंजीयन प्रमाण- पत्र की प्रति (परिशिष्ट -I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4(V)) | वन मण्डल क्रमांकदिनांक..... (फोटो प्रति संलग्न है) | | | | | | | | | | | |
| 6. | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 A के अनुसार आवश्यक स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) का विवरण (निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 5(I)) | आयकर का स्थाई खाता क्रमांक (PAN) <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> (फोटो प्रति संलग्न करें) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

स्थान

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर.....
डाक का पूरा पता
दूरभाष क्रमांक

परिशिष्ट- III

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक - 4(II))

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सन्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स.....आत्मजग्रामपुलिस थानाजिला.....(जिन्हे इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सन्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

चूँकि हर्रा का व्यापार छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को प्रदेश की विभिन्न हर्रा इकाईयों में संग्रहित होने वाले हर्रा की समस्त इकाईयों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष 2010-11 संग्रहण सीजन में संघ इकाई की इकाई क्रमांक में संग्रहित होने वाली हर्रा का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं/ हमएतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते है ।
2. मैं/ हमएतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस इकाई/इकाईयों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारेके द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।
4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/हरा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अधीन है ।
5. मैं/ हमएतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम
डाक का पूरा पता
.....

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से

2. हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता
की उपस्थिति में

परिशिष्ट- IV

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2010-11/1 दिनांक 10.05.2010 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक - 7)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूयियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित..... जिला यूयियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूयियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.....
.....आत्मज
निवासी.....ग्राम.....और जो (1) श्री.....
.....(2) श्री(3) श्री
..... के साथस्थित
कम्पनी, जिसका नामहै तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालयमें स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में हर्रा का व्यापार, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपान्तरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूंकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष 2010-11 के हर्रा के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने 2010-11 में प्रदेश में एकत्रित किये जाने वाले हर्रा के विक्रय के लिए अपनी निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/ दिनांक के द्वारा निविदाये आमंत्रित की थी, और क्रेता इकाई क्रमांक (अंको में)(शब्दों में) इकाई का नाम एवं अधिसूचित मात्रा(अंको में).....

(शब्दों में) और जिसको कथित निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/ दिनांक की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के हर्रा के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दरें इसमें इसके पश्चात् दशयि गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित हर्रा का दिनांक 30.06.2011 को समाप्त होने वाले अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 30.06.2011 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही क्रमांक इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अधधीन है ।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस इकाई में संग्रहित/क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु..... (अंको में)..... (शब्दों में) प्रति क्विंटल की दर पर क्रय करेगा । इकाई के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर तथा अन्य कर/उपकर भी अदा करेगा । एक किलो कचरिया ढाई किलो हर्षा के समतुल्य एवं एक किलो बाल हर्षा सात किलो हर्षा के समतुल्य माना जावेगा ।

4. संग्रहण/क्रय एवं संग्रहण/क्रय व्यय के भुगतान की प्रक्रिया -

(I) (अ) जिला यूनियन की हर्षा इकाई जिसे अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, में उत्पादित शासकीय वन तथा भूमियों से उत्पन्न हर्षा का संग्रहण कर क्रय क्रेता करेगा । क्रेता प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर हर्षा संग्रहण प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन के निर्देशों तथा प्राथमिक वन उपज समिति के पर्यवेक्षण में करेगा ।

इकाई क्षेत्र के बाहर का हर्षा क्रेता संग्रहण नहीं करेगा । क्रेता इसी इकाई क्षेत्र के निजी उत्पादकों से हर्षा की संपूर्ण मात्रा जिसकी पेशकश 'की गई हो' को शासन द्वारा निर्धारित दर पर क्रय करेगा ।

(ब) क्रेता केवल उपरोक्त 4(I) (अ) में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर ही हर्षा संग्रहण/क्रय करेगा । अनाधिकृत संग्रहण केन्द्र पर संग्रहित किये जाने वाला हर्षा इस अधिनियम एवं इस करारनामे के तहत की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राजसात किया जावेगा ।

(स) किसी भी इकाई क्षेत्र में आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत, वनग्राम को छोड़कर, अन्य स्थानों में संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा नहीं दी जा सकेगी, स्वीकृति संग्रहण केन्द्र किसी भी दशा में ग्राम की बसाहट से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किये जा सकेंगे । आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त स्थलों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(द) संग्रहण काल 2010-2011 में क्रेता नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व यदि कोई हर्षा संघ/वन विभाग द्वारा इकाई में संग्रहित/क्रय किया गया है, तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर समस्त देय राशि का करों सहित भुगतान कर क्रेता को परिदान प्राप्त करना होगा ।

(II) (अ) क्रेता शासकीय वनों तथा भूमियों से शासन द्वारा निर्धारित.....प्रति क्विंटल की दर से संग्राहक को भुगतान कर संग्रहण करेगा एवं संग्रहणकाल के दौरान निजी उत्पादकों से हर्षा के लिए शासन द्वारा निर्धारितप्रति क्विंटल की दर से क्रय करेगा ।

(ब) क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष संग्रहण पारिश्रमिक का क्रय तिथि के दिन ही भुगतान करना होगा तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि की मुक्ति से पूर्व इकाई की समस्त प्राथमिक समितियों से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि हर्षा संग्रहण कार्य से संबंधित किसी कार्य का भुगतान लंबित नहीं है ।

(III) उपरोक्त (I) तथा (II) में वर्णित प्रयोजन के लिए क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र में एक प्रतिनिधि (फड़ मुंशी) रखना होगा, इकाई में हर्षा का संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व हस्ताक्षरों के नमूने सहित प्रतिनिधियों के नाम प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं इकाई की समस्त प्राथमिक वनोपज समितियों को प्रेषित किये जावेंगे।

(IV) क्रेता निजी उत्पादकों तथा संग्राहकों को क्रमशः रु..... तथा रु..... प्रति किंवटल की दर से संग्रहण केन्द्र पर लाये जाने वाले हर्षा की किसी भी मात्रा को क्रय करने हेतु बाध्य होगा तथा यदि वह भुगतान कर हर्षा क्रय करने में असफल रहता है, तब क्रेता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक ऐसे हर्षे को संग्रहण/क्रय करा कर, हर्षा की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से :-

(अ) क्रेता को परिदान अस्वीकृत कर सकेगा।

अथवा

(ब) किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान कर सकेगा।

अथवा

(स) क्रेता को ही संग्रहण तिथि के 15 दिवस के उपरांत से निगरानी बतौर रूपये 1.00 प्रति किंवटल प्रति दिन अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् परिदान कर सकेगा।

अथवा

(द) ऐसे हर्षा का विक्रय निर्वर्तन से कर / करा सकता है तथा हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है।

(V) यदि यथास्थित संघ, प्राथमिक समिति या वन विभाग ऐसे हर्षा की जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जायें, की सुखाई, बोरों में भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत सहित भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि का खर्च का क्रेता भुगतान करेगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(VI) क्रेता संग्रहण केन्द्र पर लाये गये किसी भी संग्राहक/निजी उत्पादक के हर्षा को क्रय करने से अस्वीकार नहीं करेगा जब तक कि हर्षा की गुणवत्ता क्रय करने के अयोग्य नहीं है। क्रेता के द्वारा अस्वीकार किये गये हर्षा पृथक से फड़ पर उप वनमंडल अधिकारी/वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे जिसका कि निर्णय अन्तिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा एवं तदनुसार क्रेता को संग्राहक/निजी उत्पादक को भुगतान करना होगा।

(VII) क्रेता अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का संग्रहण, संग्राहक को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान कर के क्रय करने के लिये बाध्य होगा।

(VIII) क्रेता हर्षे का क्रय के उपरांत उसका समस्त उपचार, बोरों में भराई, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय क्रेता ही वहन करेगा।

(IX) इकाईयों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा।

5. देय राशि के भुगतान तथा हर्षा का निकासी / परिवहन की रीति -

(अ) क्रेता, संग्रहित हर्षे के क्रय मूल्य की रकम देय करों के सहित - संग्रहित हर्षे की मात्रा का संग्रहण व्यय, किसी भी अनुसूचित बैंक के कास बैंक ड्राफ्ट अथवा डिमांड ड्राफ्ट से संग्रहण तिथि से 15 दिवस में अदा करेगा। इस भुगतान के उपरांत ही इस करारनामे की अन्य शर्तों के अध्ययन रहते हुए क्रेता को संग्रहण केन्द्र से हर्षे की निकासी करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ब) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करेगा।

6. हरें की निकासी एवं केता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान -

(क) केता, केता करारनामा की कंडिका 5(अ) के अनुसार देय राशि का भुगतान कर संग्रहण केन्द्र से हर्षा जहां ले जाना चाहे, उसके लिए अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। इस समस्त अवशेष देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय शेष क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे। इस प्रकार परिवहन की अनुमति केवल उस स्थिति में दी जावेगी जब उसने संग्रहित इस हरें के संग्रहण व्यय का भुगतान संग्राहकों को कर दिया हो।

(ख) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.04 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

7. करों का भुगतान-

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।

(II) केता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों/ उपकरों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा।

(III) केता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय हरें के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी केता को हरें के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 के अंतर्गत प्रावधानित प्रारूप "ज" में उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा।

9. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो हर्षा को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) केता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।

- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।
- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।
- (IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् वापस की जावेगी ।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 500/- (पाँच सौ) तक की राशि की देनगी करेगा ।

12. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 500/- (पाँच सौ) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा ।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

- (I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (कर/उपकर सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा ।
- (II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।
- (III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:-
- (अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।
- (ब) इकाई के संग्रहण केन्द्रों में रखे हर्षा के स्कंध, जिसके समस्त देय राशि भुगतान कर दिया गया है परन्तु संग्रहण केन्द्र से निकासी नहीं की हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।
- (स)(एक) इकाई के संग्रहण केन्द्रों पर रखे हर्षा का, जिसके लिये संग्रहण दर के अतिरिक्त देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा संग्रहण केन्द्रों में रखे हर्षा के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने ।

ऐसी हानि क्रेता इकाई के संग्रहण केन्द्रों में रखे हर्षे, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा संग्रहण केन्द्रों में रखे हर्षे, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी। यदि हर्षे का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है तो हर्षे का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में हर्षे का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा। करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर इकाई के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं हर्षे की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5000/- प्रति इकाई की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही हर्षे के स्टॉक को निकासी/परिवहन की अनुमति दी जावेगी।

(V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो हर्षे की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5000/- प्रति इकाई की दर से अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से हर्षा हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

14. लेखाओं का रख रखाव-

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। संग्रहण केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।

16. हर्षा का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता हर्षा का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

18. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये हर्षे पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता हर्षा का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

19. न्यायालय की अधिकारिता-

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

20. यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगण:-

1.

(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन

..... जिला यूनियन

2.

(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण:-

1.

(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

2.

(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

डाक का पता-.....